Regarding alleged irregularities by a cement company located in village Khaparadih, Tehsil Simga, Baloda Bazar district, Chhattisgarh-laid

श्री विजय बघेल (दुर्ग) **:** छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत ग्राम खपराडीह में स्थापित एक सीमेंट कंपनी के संयंत्र के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी, उत्पादन अनुमतियों एवं संभावित आर्थिक अपराधों से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के संबंध में शिकायत की गई है जिसमें MOEF और CECB द्वारा इस कंपनी को जारी की गई EC/CTO की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, इस सीमेंट कंपनी को 11.09.2019 को MOEF से EC मिली, जिसमें यूनिट-3 को भी शामिल कर सीधे 13.5 MTPA क्लिंकर व 16.5 MTPA सीमेंट उत्पादन की अनुमति दी गई, जबकि EC मूल्यांकन के दौरान कंपनी ने केवल 13 MTPA के लाइमस्टोन लिंकेज की बात स्वीकारी थी, कंपनी द्वारा लाइमस्टोन खपत, उत्पादन, बिजली उपयोग और परिवहन बिलों का तुलनात्मक विश्लेषण कराया जाए, यह परिस्थिति कर अपवंचन, अवैध खनन, बैलेंस शीट हेराफेरी व मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित आर्थिक अपराधों की ओर संकेत करती है । दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर जुर्माना व राजस्व वसूली किये जाने हेतु कृपया संबंधितों को निर्देशित करें ।